



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक अपील संख्या - 5652 वर्ष 2026

विशाल

.....अपीलकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

अपीलकर्ता(गण) के अधिवक्ता : अलाउद्दीन, फखरुद्दीन

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 67

माननीय न्यायमूर्ति समीर जैन

1. प्रत्यर्थी संख्या-2 की ओर से अधिवक्ता श्री अनिरुद्ध कुमार उपाध्याय द्वारा प्रस्तुत वकालतनामा अभिलेख पर लिया जाता है।
2. राज्य द्वारा प्रस्तुत प्रति शपथपत्र भी अभिलेख पर लिया जाता है।
3. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री अलाउद्दीन, प्रत्यर्थी संख्या-2 के विद्वान अधिवक्ता श्री अनिरुद्ध कुमार उपाध्याय तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री रमेश कुमार को सुना गया।
4. वर्तमान अपील अपीलकर्ता द्वारा इस प्रार्थना के साथ प्रस्तुत की गई है कि विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, सिद्धार्थ नगर द्वारा पारित दिनांक 28.4.2026 के आक्षेपित आदेश को निरस्त किया जाए, जिसके द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 24 वर्ष 2026, धारा 108, 352, 351(3) भारतीय न्याय संहिता एवं धारा 3(2)(V) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, थाना-खेसरहा, जनपद सिद्धार्थ नगर में अपीलकर्ता का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया गया है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



5. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अपीलकर्ता निर्दोष है, किन्तु इसके बावजूद न्यायालय सम्बन्धित द्वारा दिनांक 28.4.2026 के आक्षेपित आदेश के माध्यम से उसका जमानत आवेदन निरस्त कर दिया गया है।

6. उनका अगला कथन है कि यद्यपि अभियोजन के अनुसार अपीलकर्ता के दुष्प्रेरण के कारण सूचनाकर्ता/प्रत्यर्थी संख्या-2 की मृतका पुत्री ने आत्महत्या कर ली, किन्तु अपीलकर्ता के विरुद्ध लगाए गए समस्त आरोप पूर्णतः असत्य हैं।

7. उनका अगला कथन है कि वास्तव में मृतका बालिग थी और आवेदक एवं मृतका दोनों के मध्य सम्बन्ध थे तथा मृतका आवेदक के साथ चली गई थी, किन्तु आवेदक उसके साथ न्यायालयीय विवाह नहीं कर सका और इसलिए सूचनाकर्ता के दबाव के कारण मृतका अपने मायके में रहने लगी तथा इसी बीच आवेदक मुम्बई चला गया, तथापि वह मृतका के निरन्तर सम्पर्क में था, किन्तु मृतका को उसके परिवार के सदस्यों, जिसमें सूचनाकर्ता भी सम्मिलित है, द्वारा अत्यधिक प्रताड़ित किया गया और उनकी प्रताड़ना के कारण उसने आत्महत्या कर ली, किन्तु उसकी मृत्यु के उपरान्त झूठे आरोपों के आधार पर आवेदक को वर्तमान प्रकरण में अभियुक्त बना दिया गया है।

8. उनका अगला कथन है कि आवेदक के विरुद्ध दुष्प्रेरण का कोई ठोस साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, किन्तु इसके बावजूद न्यायालय सम्बन्धित द्वारा अपीलकर्ता का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया गया और इस प्रकार घोर अवैधता की गई।

9. उनका अगला कथन है कि दिनांक 28.4.2026 का वह आदेश, जिसके द्वारा आवेदक का जमानत आवेदन निरस्त किया गया है, अत्यन्त अवैध है और निरस्त किए जाने योग्य है।

10. उनका यह भी तर्क है कि वर्तमान प्रकरण के अतिरिक्त आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वर्तमान प्रकरण में वह दिनांक 21.3.2026 से कारागार में निरुद्ध है। उनका अगला कथन है कि अतः वर्तमान अपील स्वीकार की जाए और आवेदक को वर्तमान अपील के लम्बित रहने के दौरान जमानत पर रिहा किए जाने का निर्देश दिया जाए।

11. प्रतिवाद में, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता तथा प्रत्यर्थी संख्या-2 के विद्वान अधिवक्ता ने प्रार्थना का विरोध किया और कथन किया कि आवेदक ने सर्वप्रथम मृतका को बहलाया-फुसलाया और तत्पश्चात उससे विवाह नहीं किया तथा दूरभाष पर वह उसे प्रताड़ित करता था और उसके

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



दुष्प्रेरण एवं प्रताड़ना के कारण अन्ततः उसे आत्महत्या करनी पड़ी और इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि अभिलेख पर आवेदक के विरुद्ध कोई ठोस साक्ष्य उपलब्ध नहीं है।

12. उनका यह भी कथन है कि दिनांक 28.4.2026 के आक्षेपित आदेश में कोई अवैधता नहीं है और न्यायालय सम्बन्धित द्वारा आवेदक का जमानत आवेदन उचित रूप से निरस्त किया गया है।

13. उनका यह भी कथन है कि अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत वर्तमान अपील गुणहीन है और इसे निरस्त किया जाना चाहिए।

14. मैंने दोनों पक्षों को सुना तथा प्रकरण के अभिलेख का परिशीलन किया।

15. वर्तमान अपील विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम द्वारा पारित दिनांक 28.4.2026 के उस आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा आवेदक का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया गया है।

16. अभियोजन के अनुसार, आवेदक ने सर्वप्रथम सूचनाकर्ता की पुत्री को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया और तत्पश्चात आवेदक द्वारा किए गए दुष्प्रेरण के कारण उसने आत्महत्या कर ली, क्योंकि आवेदक ने उसके साथ न्यायालयीय विवाह नहीं किया और वह उसे दूरभाष पर निरन्तर धमकी देता था। अभिलेख पर उपलब्ध समस्त सामग्री को दृष्टिगत रखते हुए इस न्यायालय के विचार में प्रथम दृष्टया ऐसा कोई ठोस साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जिससे यह संकेत मिले कि आवेदक के दुष्प्रेरण के कारण मृतका ने आत्महत्या की तथा प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रतिरक्षा पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्क को अविश्वसनीय नहीं माना जा सकता, विशेष रूप से इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि मृतका बालिग प्रतीत होती है।

17. अतः, उपर्युक्त वर्णित प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, इस न्यायालय के विचार में दिनांक 28.4.2026 का आक्षेपित आदेश अवैध है और एतद्वारा निरस्त किया जाता है। अपीलकर्ता को विचारण के दौरान जमानत पर रिहा किए जाने का निर्देश दिया जाता है।

18. तदनुसार, वर्तमान अपील स्वीकार की जाती है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



19. अपीलकर्ता- विशाल को उपर्युक्त प्रकरण में उसके द्वारा व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान धनराशि के दो विश्वसनीय जमानतदार प्रस्तुत किए जाने पर, न्यायालय सम्बन्धित की संतुष्टि पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:-

- (i) अपीलकर्ता विचारण के दौरान साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
- (ii) अपीलकर्ता अभियोजन साक्षी को दबाव में नहीं डालेगा/धमकाएगा।
- (iii) अपीलकर्ता नियत तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा, जब तक कि व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट प्रदान न की गई हो।
- (iv) अपीलकर्ता ऐसा कोई अपराध नहीं करेगा जो उस अपराध के समान हो, जिसके लिए वह अभियुक्त है अथवा जिसके किए जाने का उस पर संदेह है।
- (v) अपीलकर्ता प्रकरण के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को ऐसे तथ्यों को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख करने के लिए प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी अथवा वचन नहीं देगा तथा साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

20. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, अभियोजन को इस न्यायालय के समक्ष जमानत निरस्तीकरण आवेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता होगी।

दिनांक 23 जून, 2026

कुमार मनीष

(न्यायमूर्ति समीर जैन)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।